

न्यायालय- सिविल जज (सी०डी०)/त्वरित
उपस्थित:- प्रगति सिंह (उ०प्र० न्यायिक सेवा)- UP-02235

वाद सं०-18530/2023

सरकार बनाम SANJAY KUMAR

गाडी नं०-UP19H1441

चालान दिनांक-19-11-2020

धारा- एम.वी. एक्ट

थाना- बागपत , जिला- बागपत।

आदेश

दिनांक-03.08.2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत पत्रावली अपराधिक वाद सं०- 18530/2023 अंतर्गत धारा-एम.वी. एक्ट से संबंधित है। जिसमें घटना/चालान की तिथि 19-11-2020 है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारण का उपशमन)(संशोधन) अधिनियम 1979 की धारा-09 में मोटरयान अधि० से संबंधित अपराधों के उपशमन के संबंध में प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारण का उपशमन)(संशोधन) अध्यादेश, 2023 जो उ०प्र० सरकार द्वारा सरकारी गजट में दिनांक 22.03.2023 को प्रकाशित किया गया है, के धारा-09 में संशोधन करके शब्द 31 दिसम्बर 2016 के स्थान पर 31 दिसम्बर 2021 प्रतिस्थापित किया गया है। इस संबंध में उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा पत्र सं०-1651/एसएसएसए-127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19.05.2023 के द्वारा भी उपरोक्त संशोधन अध्यादेश 2023 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

चूंकि प्रकरण 31.12.2021 के पूर्व का है। अतः उपरोक्त अधिनियम व वर्तमान अध्यादेश तथा पत्र सं०-1651/एसएसएसए-127/2022 (ऋ/सरन) दिनांकित 19.05.2023 के अनुक्रम में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं है। उक्त मामला उपरोक्त विवेचन के आलोक में उपशमित किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अविलम्ब दाखिल दफ्तर हो।

(प्रगति सिंह)
सिविल जज (सी०डी०)/त्वरित
बागपत